न्यायालय उपजिला कलेक्टर रामगढ़ पचवारा जिला–दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री बद्री नारायण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 67/17 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

त्रिवेणी पत्नि रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ... तहसील राहूवास जिला दौसा राज.

(प्रार्थीया)

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति – श्री अनूप माता अधिवक्ता (प्रार्थी)

पैरोकार सरकार तहसीलदार राहूवास

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

= निर्णय =

दिनांक – 3.7.25

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रा0पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा 194/148/1/1 रकबा 10 बीघा पर करीब 60 वर्षों तक कब्जा है। सेटलमेण्ट विभाग ने गलत इन्द्राज उक्त आराजीयात सिवाय चक घोषित कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने पर बाद जाँच तहसीलदार नियमन हेतु पत्रावली सहायक कलेक्टर को प्रेषित कर दी। जिसे सहायक कलेक्टर लालसोट द्वारा दिनांक 15.05.99 अस्वीकार कर दिया। एवम् भूप्रबंध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील अधीकारी जयपुर तहसीलदार के निर्णय दिनांक 16.08.94 को अपील स्वीकार कर लम्बे कब्जे के आधार पर नियमन करने का आदेश दिया है अतः प्रार्थीयान को हक प्राप्त है कि उक्त आराजी मुतनाजा पर काश्त करे |उपयोग-उपभोग में लेवे। लेकिन तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही प्रार्थी को बेदखल के आदेश दिए जा रहे है। जिसे रोका जावे। प्रार्थी को खातेदार दर्ज घोषित किया जावे।

प्रा0पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार राहूवास की और से जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें निवेदन किया कि आराजीयात मुतनाजा कि किस्म गैर मुमकिन नला है। और सरकारी भूमि है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान के परिप्रेक्ष्य मे दिए गए अपने निर्णय में निर्देशित किया है कि किस्म गैर मुमकिन नला की भूमि पर किसी तरह के हक हकूक नही दिए जा सकते। अतः प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावे

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विधि में यह व्यवस्था ~~सीमित~~ हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी को अपने पक्ष में तीन बिन्दु सिद्ध करने होंगे। जिनकी हम निम्न प्रकार विवेचना करते है।

प्रथम दृष्टया केसः–

यह अविवादित आराजीयात तथ्य है आराजीयात मुतनाजा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नला दर्ज है। और सेंटलमेण्ट द्वारा दौराने सेंटलमेण्ट उक्त आराजी की किस्म बदली है, अथवा नही? यह तथ्य वाद में तय किया जा सकता है।

राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी राजस्व भूमि के आवंटन व नियमन के संबध में वाद दायर करने का प्रावधान नही है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा जिला-दौसा (राज.)

तहसीलदार
राहूवास (दौसा)

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति-

प्रीतराम से बनाने के लिए प्रथम दृष्टया केस के बिन्दु व विवेचन के अनुसार विवादित आराजीयात सरकारी व गैर मुमकिन नाला है ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों की धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के हक व कब्जा उत्पन्न नहीं होते तथा हक दिया जाना भी वर्जित है। इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है।

आदेश:

उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

उपजिला कलेक्टर
रामगढ़ पचवारा।

निर्णय आज दिनांक 31.7.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व उच्चारित किया गया।

उपजिला कलेक्टर
रामगढ़ पचवारा।

तहसीलदार
राहूवास (दौसा)